

**न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबडा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)**

आप.प्रकरण.क.-962 / 2011
संस्थित दिनांक 12.12.2011
फाई. नंबर-234503000322011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, मलाजखण्ड
जिला बालाघाट (म.प्र.)

-----**अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

पीतरदास पिता शोभादास, उम्र-55 वर्ष,
निवासी-ग्राम मोहगांव, थाना मलाजखण्ड,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

-----**आरोपी**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक 26.02.2018 को घोषित)

01- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 एवं मो.व्ही. एक्ट की धारा-39/192, 146/196, 56/192(1)ख, 66/192(क), 115(7)/190(2), 131(1)/177, 130(3)/177 के अंतर्गत अपराध किये जाने का आरोप है कि उसने दिनांक 06.05.11 को 16:30 बजे ग्राम भीमजोरी-मलाजखण्ड के बीच चर्च के पास थानांतर्गत मलाजखण्ड में लोकमार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक-सी.जी.08.जेड.सी.0199 को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर, आहत थानीलाल कटरे की टी. वी.एस. एक्सल क्रमांक-सी.जी-04 एफ.सी-3628 को टक्कर मारकर आहत के दांये हाथ की कोहनी के ऊपर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित कर उक्त वाहन को बिना रजिस्ट्रेशन, बीमा, फिटनेस के चालन किया, उक्त वाहन को बिना परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर चालन किया, उक्त वाहन में निर्धारित प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं था, भारसाधक पुलिस अधिकारी द्वारा मांगने पर चालक अनुज्ञप्ति पेश नहीं की तथा उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन, बीमा, फिटनेस पेश नहीं किया।

02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 06.05.11 को फरियादी रूपेन्द्र कटरे ने थाना मलाजखण्ड आकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई थी कि दिनांक 06.05.2011 को उसके पिता थानीलाल कटरे मोटर साईकिल टी.व्ही.एस. क्रमांक-सी.जी-04/एफ.सी-3628 से मकान की रोटी में ग्राम भीमजोरी गए थे। करीब 16:35 बजे, ग्राम पण्ड्रापानी के एक लड़के ने बताया था कि फरियादी के पिताजी का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया है, तब फरियादी उसी लड़के के साथ घटनास्थल पर गया तो देखा कि उसके पिताजी चर्च के किनारे रोड पर पड़े हुए थे। ट्रक की टक्कर से उसके पिताजी के दाहिने हाथ, सिर, दाहिने पैर, कमर तथा घुटने में चोट लगी थी। फरियादी की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक-34/2011, अंतर्गत धारा-279, 337 भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका-नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी से वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया गया। विवेचना दौरान अंतिम प्रतिवेदन में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा-338 एवं मो. व्ही.एक्ट की धारा-39/192, 146/196, 56/192(1)ख, 66/192(क), 115(7)/190(2), 184, 115(5), 190(2), 131(1)/177, 130(3)/177 का ईजाफा किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

03— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 एवं मो. व्ही.एक्ट की धारा-39/192, 146/196, 56/192(1)ख, 66/192(क), 115(7)/190(2), 131(1)/177, 130(3)/177 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि:—

1. क्या आरोपी ने दिनांक-06.05.11 को 16:30 बजे ग्राम भीमजोरी-मलाजखण्ड के बीच चर्च के पास थानांतर्गत मलाजखण्ड में लोकमार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक-सी.जी-08.जेड.सी-0199 को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर आहत थानीलाल कटरे की टी.वी.एस. एक्सल क्रमांक-सी.जी-04 एफ.सी-3628 को टक्कर मारकर आहत के दाएं हाथ की कोहनी के उपर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की ?
3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना रजिस्ट्रेशन के चालन किया ?
4. क्या आरोपी ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर बिना बीमा के वाहन का चालन किया ?
5. क्या आरोपी ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना फिटनेस के चालन किया ?
6. क्या आरोपी ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर चालान किया ?
7. क्या उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन में निर्धारित प्रदुषण प्रमाणपत्र नहीं था ?
8. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर भारसाधक पुलिस अधिकारी द्वारा मांगने पर चालक अनुज्ञप्ति पेश नहीं की ?
9. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन, बीमा, फिटनेस पेश नहीं किया ?

विवेचना एवं निष्कर्ष :-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02

नोट:—सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के आशय से विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

05— साक्षी रूपेन्द्र कटरे अ.सा.02 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि आहत थानीलाल उसके पिता हैं। घटना दिनांक 06 मई, 2011 की है। उस समय वह अपनी दुकान पर था। ग्राम पण्ड्रापानी के मूलचन्द ने उसे आकर बताया था कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है, तब वह उसी की गाड़ी से मौके पर चर्च के पास मण्डई रोड पर गया, वहाँ देखा कि उसके पिता चर्च के पास नीचे रोड के किनारे पड़े हुए थे। उनका ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था।

उसने अपने बयान में ट्रक का नंबर बता दिया था आज उसे याद नहीं है। घटना की रिपोर्ट उसने थाना मलाजखण्ड में की थी, जो प्रदर्श पी.01 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस को उसने घटनास्थल बता दिया था, जिसका नजरी-नक्शा प्रदर्श पी.02 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसे पता चला था कि ट्रक की तेज गति से चलने के कारण दुर्घटना हुई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह घटना के समय उपस्थित नहीं था और उसने घटना नहीं देखा था। साक्षी के अनुसार ट्रक राजनांदगांव वाले का था। ट्रक का चालक कहां का था, उसे नहीं मालूम। उसे नहीं मालूम कि किस चालक ने ट्रक को चलाकर दुर्घटना किया था। यह स्वीकार किया है कि प्र.पी.02 के हस्ताक्षर पुलिस ने थाने में लिये थे तथा प्र.पी.02 की लिखा-पढ़ी थाने में हुई थी। उसे अपने पिता की स्कूटी गाड़ी का नंबर याद नहीं है।

06- साक्षी थानीलाल कटरे अ.सा.01 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता और देखकर भी नहीं पहचान सकता। उसने आरोपी को आज तक देखा नहीं है। घटना दिनांक 06 मई, 2011 की है, वह भीमजोरी से कथा से वापस अपने घर स्कूटी वाहन से आ रहा था। मलाजखण्ड रोड पर चर्च के पास पहुँचा, तभी बहुत तेज गति से एक ट्रक पीछे से आ रहा था, वह अपनी स्कूटी सड़क से नीचे उतार कर खड़ा हो गया था, तभी उक्त ट्रक वाले ने उसे टक्कर मारा और घसीटते हुए ले गया। वह बेहोश हो गया था और उसे लोगों ने मलाजखण्ड अस्पताल ले गए थे। करीब बीस दिन के बाद उसे रायपुर अस्पताल में होश आया था। ईलाज के दौरान उसे याददाश्त नहीं थी। करीब 15 दिन बाद होश आया था। ईलाज के दौरान रायपुर अस्पताल में उसका दाहिना हाथ काटा जा चुका था। उसने नहीं देखा था कि उक्त ट्रक कौन चला रहा था। बाद में भी उसे किसी ने नहीं बताया कि उक्त ट्रक कौन चला रहा था और उसने पता करने का भी प्रयास नहीं किया। पुलिस ने उसके समक्ष मौका-नक्शा नहीं बनाई थी।

07— साक्षी थानीलाल कटरे अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसने पुलिस को अपने बयान में ट्रक का नंबर नहीं बताया था। साक्षी के अनुसार ट्रक को पुलिस पकड़कर लाई थी। यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर ट्रक खड़ा नहीं था। वह नहीं बता सकता कि पुलिस ने उसका बयान लिया था या नहीं। यह स्वीकार किया है कि रायपुर में ठीक होने के बाद भी पुलिस ने उसका कोई बयान नहीं लिया था। साक्षी के अनुसार घटना के बाद भी उसे कोई बात ध्यान नहीं रहती है। यह स्वीकार किया है कि उसने अपने पुलिस बयान में यह नहीं बताया था कि उसे मौके से यशवंत ने उठाया था। यह अस्वीकार किया है कि ट्रक धीमी गति से आ रहा था। यह स्वीकार किया है कि उसे नहीं मालूम कि ट्रक कहाँ का था।

08— साक्षी मूलचंद ठाकरे अ.सा.04 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी तथा आहत थानीलाल कटरे को जानता है। घटना न्यायालयीन कथन देने से दो-तीन माह पहले मलाजखंड से अपने घर पण्ड्रापानी जा रहा था, तो थानीलाल कटरे को मलाजखण्ड चर्च के पास खून से लथ-पथ बेहोशी हालत में पड़े देखा था और कुछ दूरी पर एक ट्रक खड़ा था, जहाँ उपस्थित लोगों से उसे जानकारी हुई थी कि उक्त ट्रक से थानीलाल का एक्सीडेंट हुआ है तथा यह भी जानकारी मिली थी कि उक्त घटना ट्रक वाले की गलती से हुई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने मौके पर पुलिसवालों को ट्रक का नंबर नहीं बताया था तथा वह जब मौके पर गया था तो वहाँ न्यायालय उपस्थित आरोपी नहीं था। उसका पुलिस ने कोई बयान नहीं लिया था। उसने घटना होते हुए नहीं देखा था। घायल व्यक्ति थानीराम कटरे ने भी उसे घटना की कोई जानकारी नहीं दिया था। थानीलाल उसका रिश्तेदार है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि वह आरोपी के विरुद्ध असत्य कथन कर रहा है।

09— साक्षी सहेन्द्र कुमार परते अ.सा.03 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में

कहा है कि वह आरोपी पीतरदास को नहीं जानता है। वह प्रार्थी रूपेन्द्र को जानता है। घटना उसके कथन देने से 5-6 माह पूर्व शाम 4-5 बजे, मलाजखण्ड चर्च के पास की है। साक्षी भूपेन्द्र की पान दुकान में खड़ा था, तभी रूपेन्द्र ने आकर उसे बताया था कि उसके पिता थानीलाल का एक्सीडेंट हो गया है, तब उन लोग मौके पर गये, वहा। देखे कि थानीलाल घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसके हाथ एवं पूरे शरीर में चोटें थी। मौके पर कोई गाड़ी नहीं थी और उसने नहीं देखा था कि किस गाड़ी से दुर्घटना हुई थी। उसे वाहन का नंबर भी नहीं मालूम। फिर ऑटो में उन्होंने थानीलाल को बिठालकर मलाजखंड अस्पताल लेकर आये और वहाँ भर्ती कराये थे। उसने पुलिस को प्रदर्श डी.03 का बयान दिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि उसने अपने पुलिस बयान प्र.डी.03 में पुलिस को यह नहीं बताया था कि वाहन चालक ने तेज गति व लापरवाही से वाहन चलाकर थानीलाल को टक्कर मार दिया था। उसने पुलिस को वाहन का नंबर भी नहीं बताया था।

10— साक्षी बालकरण अ.सा.05 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि घटना उसके कथन से करीब दो वर्ष पूर्व डेढ़-दो बजे दिन की चर्च चौक मलाजखण्ड भीमजोरी चौक की है। एक दादा मोटरसाइकिल से गिरे पड़े थे, जिसे वह पानी पिलाने गया था। वहाँ और भी अन्य लोग थे। उसे यह जानकारी नहीं है कि उस व्यक्ति का किस वाहन से एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को थानीलाल कटरे ट्रक के सामने जा रहा था, तभी ट्रक के चालक ने तेज रफ्तार व लापरवाही से चलाकर, थानीलाल कटरे जो मोटर सायकिल पर बैठा था, को टक्कर मार दिया था, घटनास्थल पर उसने ट्रक खड़ा देखा था तथा मौके से चालक भाग गया था, उक्त ट्रक का नंबर सी.जी.08जेड.सी.0199 उसने देखा था, वह आरोपी से मिलकर उसे बचाने के लिये झूठा कथन कर रहा है तथा उसने पुलिस को प्र.पी.04 का कथन दिया था।

11— साक्षी अरशद खान अ.सा.06 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को जानता है, जो कंपनी की ओर से ट्रक क्रमांक-सी.जी-08/जेड.सी-0199 का ड्राइवर था। वह घटना के समय लैण्डमार्क कंपनी नागपुर में सुपरवाइजर के पद पर काम करता था। जिस कंपनी का ट्रक था, उस कंपनी के मालिक निशान्त जैन थे। घटना उसके कथन से लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व की है। घटना के समय कंपनी का उक्त ट्रक सामान लेकर केवलारी जा रहा था। घटना के समय उक्त ट्रक का चालक आरोपी पीतरदास था। उक्त ट्रक को मुख्याराम की हैसियत से दो घंटे के बाद उसने अपनी कंपनी के लिए सुर्पुदगी पर लिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि किस तारीख की घटना है उसे नहीं मालूम। यह स्वीकार किया है कि घटना के समय ट्रक कौन चला रहा था, उसने नहीं देखा था।

12— साक्षी हबीब खान अ.सा.08 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी एवं आहत को नहीं जानता है। उसकी चर्च चौक मलाजखंड के आगे पर सायकिल रिपेरिंग की दुकान है। उसके सामने कोई घटना नहीं हुई थी। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि दिनांक 06.05.11 को शाम करीब 4-5 बजे जब थानीलाल कटरे अपनी मोटर साइकिल से दमोह से मलाजखण्ड जा रहा था, तब उसके पीछे से ट्रक के ड्राइवर ने तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाकर चर्च के सामने टक्कर मार दी थी, जिससे थानीलाल कटरे गिर गया था और ट्रक के ड्राइवर ने कुछ दूरी पर जाकर ट्रक को रोक दिया था, किन्तु इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसने एक्सीडेंट वाले ट्रक का नंबर-सी.जी-08/जेड.सी.-0199 देखा था। साक्षी के अनुसार वह पढ़ा-लिखा नहीं है। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसके पुलिस बयान प्रदर्श पी.6 में उक्त नंबर बताया था तथा घटना पुरानी होने के कारण वह ट्रक के नंबर वाली बात नहीं बता पा रहा है, किन्तु इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने अपने मुख्यपरीक्षण में किसी अन्य घटना के संबंध में सोचकर घटना के संबंध में जानकारी नहीं होना बताया था तथा पुलिस ने उसके समक्ष दुर्घटना में संलिप्त

ट्रक की कार्यवाही की थी। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी.07 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

13— साक्षी हबीब खान अ.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि दुर्घटना होने के बाद वह घटनास्थल पर पहुँचा था, उसने टक्कर होते हुए नहीं देखा था, टक्कर के समय ट्रक चालक ट्रक को कैसे चला रहा था वह नहीं बता सकता, क्योंकि उसने घटना नहीं देखी थी। उक्त ट्रक कौन चला रहा था उसे नहीं मालूम तथा उसके समक्ष ट्रक की जप्ती नहीं हुई थी तथा प्र.पी.07 के दस्तावेज पर उसने हस्ताक्षर कर दिये थे, उसमें क्या लिखा था उसे नहीं मालूम।

14— साक्षी नत्थूदास अ.सा.09 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी एवं आहत थानीलाल कटरे को नहीं जानता है। घटना उसके कथन देने से दो-ढ़ाई वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को जब उसे पता चला कि मोटर साइकिल वाले को ट्रक ने टक्कर मार दी, तब वह घटनास्थल पर गया था, एक व्यक्ति के सिर में चोट लगी थी तथा नाक से खून निकल रहा था। उसकी चर्च तिराहा पर चाय-पान की दुकान है। उक्त दुर्घटना ट्रक वाले की गलती से हुई थी, क्योंकि घटनास्थल पर उसने मोटर साइकिल वाले को ट्रक द्वारा घसीटते हुए ले जाना देखा था। पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ नहीं की थी। उसके सामने पुलिस ने ट्रक के संबंध में कार्यवाही की थी। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी.07 के ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। ट्रक के चालक और कंडेक्टर दोनों भाग गये थे।

15— साक्षी नत्थूदास अ.सा.09 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसके सामने आरोपी ने ट्रक को तेज रफ्तार व लापरवाही से चलाकर आहत थानीलाल कटरे की मोटर साइकिल को टक्कर मार दी थी, एक्सीडेंट होते हुए थानीलाल गिर गया था। साक्षी के अनुसार वह घटना के बाद पहुँचा था और उसने थानीलाल को गिरा हुआ देखा था। साक्षी ने इन सुझावों को भी अस्वीकार किया है कि उसने

ट्रक का नंबर देखकर उक्त ट्रक का नंबर पुलिस को अपने पुलिस कथन प्र.पी.08 में बताया था। यह अस्वीकार किया है कि घटना पुरानी होने के कारण नंबर वाली बात वह भूल गया है। यह अस्वीकार किया है कि वह आरोपी से मिलकर असत्य कथन कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसके सामने कोई दुर्घटना नहीं हुई थी तथा वह नहीं बता सकता कि किसकी गलती से दुर्घटना हुई थी। पुलिस ने जप्ती पंचनामा प्र.पी.08 पर उसकी दुकान पर आकर हस्ताक्षर करा लिये थे। यह भी स्वीकार किया है कि जप्ती कार्यवाही उसके सामने नहीं हुई।

16— साक्षी डॉ० संगीता कुमारी अ.सा.07 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा कि वह दिनांक 06.05.11 को मलाजखण्ड ताम्र परियोजना में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थी। उक्त दिनांक को श्री रूपेन्द्र कटरे द्वारा आहत थानीलाल कटरे को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था। आहत की उम्र करीब 55 वर्ष थी और वह ग्राम चारटोला थाना मलाजखंड का निवासी था। उसने आहत के शरीर पर ईलाज के दौरान निम्न चोटें पाई थी, जिसमें एक फटा हुआ घाव, जो कि दाहिने हाथ की कोहनी के पास था, जिसमें हड्डियाँ एवं मांसपेशियाँ दिखाई दे रही थी, एक सूजन जो कि दाहिने जांघ पर थी, एक छिला हुआ घाव जो कि दाहिने घुटने के पास था, एक छिला हुआ घाव जो कि दाहिने पांव के पंजे पर था। उक्त सभी घाव ताजे थे, जिसमें चोट क्रमांक 01 गंभीर प्रकृति की थी। उसने आहत को एक्स-रे की सलाह दी थी और आहत को शल्य चिकित्सक डॉ० बनर्जी के पास उपचार हेतु भेजा था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी.05 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

17— साक्षी एम.एल. बंशकार अ.सा.10 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक 06.05.11 को थाना मलाजखण्ड में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को 34/11 की डायरी प्राप्त होने पर विवेचना के दौरान प्रार्थी भूपेन्द्र की निशानदेही पर मौका-नक्शा प्रदर्श पी.02 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक

को उसके द्वारा भूपेन्द्र कटरे, नत्थूलाल, बालकरन, हबीब खान के कथन एवं दिनांक 17.05.11 को सहेन्द्र पटले, मूलचंद के कथन उनके बताए अनुसार लेख किये गये थे। दिनांक 07.05.11 को ट्रक किलीनर संजय कुमार से ट्रक क्रमांक-सी.जी.08/जेड.सी.0199 जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी.07 तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि दिनांक 06.05.2011 को घटनास्थल पर नहीं गया था तथा मौका-नक्शा प्र.पी.02 थाने में बैठकर तैयार कर लिया था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल का नक्शा तैयार करते समय एक ही साक्षी के हस्ताक्षर करवाया था। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा कोई ट्रक की जप्ती नहीं की गई थी, जप्ती के समय नत्थूदास एवं हबीब खान उपस्थित नहीं थे, जप्ती पत्रक प्र.पी.07 उसके द्वारा तैयार नहीं किया गया था, उसने साक्षियों के कथन नत्थूलाल के कहने पर अपने मन से लेखबद्ध किये थे तथा उसे किसी साक्षी ने बयान नहीं दिये थे।

18— साक्षी एल.पी. पटले अ.सा.12 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक 06.05.11 को थाना मलाजखण्ड में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रार्थी रूपेन्द्र कटरे की सूचना पर उसके द्वारा ट्रक क्रमांक-सी.जी-08/जेड.सी-0199 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक-34/1 धारा-279, 337 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जो प्रदर्श पी.01 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उक्त दिनांक को प्रार्थी रूपेन्द्र कटरे उसके पास कोई रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं आया था, उसे एस.सी.पी. अस्पताल मलाजखंड से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी तथा ट्रक क्रमांक सी.जी.08जेड.सी.0199 का चालक उसके समक्ष उपस्थित नहीं हुआ और ना ही उस दिन उसे गाड़ी का नंबर दिया गया था।

19— साक्षी जेनेन्द्र उपराड़े अ.सा.11 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक 22.08.11 को थाना मलाजखण्ड में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक-34/11 की डायरी

प्राप्त होने पर उसके द्वारा साक्षी थानीलाल, अरसद खान के बयान उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किया था तथा दिनांक 21.09.11 को आरोपी पितरदास को गवाह मुकेश एवं फिरोज खान के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी.08 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आरोपी का जमानत मुचलका प्रदर्श पी.09 तैयार किया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा थाना परिसर मलाजखण्ड में दिनांक 31.09.2011 को वाहन का नंबर सी.जी.01.जेड.सी.0199 का वाहन परीक्षण ज्ञानी ब्रम्हे ड्रायवर आरक्षक मलाजखण्ड से करवाया था। विवेचना के दौरान आहत थानीलाल का एक्स-रे परीक्षण उपरान्त अस्थिभंग पाए जाने से आरोपी के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा-338 एवं अन्य दस्तावेज नहीं पाए जाने से मो.व्ही. एक्ट की धारा-39/192, 146/196, 56/192(1)ख, 66/192(क), 115(7)/190(2), 131(1)/177, 130(3)/177 बढ़ाई गई थी तथा संपूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।

20— साक्षी जेनेन्द्र उपराड़े अ.सा.11 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने प्रकरण में मूल मुख्त्यारनामा अरसद खान का पेश नहीं किया है तथा उसने मूल मुख्त्यारनामा प्रकरण में पेश नहीं किया है। साक्षी के अनुसार उसकी प्रतिलिपि प्रकरण में पेश है। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि मुख्त्यारनामा फर्जी है, इसलिये मुख्त्यारनामा पेश नहीं किया है, अरसद खान से मिलकर उसने पीतरदास को गलत ढंग से आरोपी बनाया है, पितरदास घटना दिनांक को उक्त वाहन नहीं चला रहा था, वह अरसद खान से मिलकर आरोपी को फँसाने के लिये नोटिस देकर से उसे थाने में बुलाया था, उसने उसे जबरदस्ती थाने में बैठाकर हस्ताक्षर करवाये थे, किन्तु इन सुझावों को स्वीकार किया है कि प्रार्थी थानीलाल ने आरोपी पितरदास के विरुद्ध कोई कथन नहीं किया है, पितरदास मोहगांव का स्थाई निवासी है, ट्रक छत्तीसगढ़ बिलासपुर का था। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि ड्रायवर छत्तीसगढ़ बिलासपुर का था। साक्षी के अनुसार अरसद खान द्वारा बताया गया था कि ड्रायवर बिलासपुर का था। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है

कि वह अरसद खान से मिलकर पितरदास को फँसाने के लिये दिनांक 28.08.2011 को लेण्डमार्क इंजीनियर प्रबंधक बिलासपुर को नोटिस दिया था तथा उसने जमानत-मुचलका की कार्यवाही अरसद खान से मिलकर किया था तथा उसने झूठी विवेचना कर प्रकरण पेश किया है।

21— प्रकरण में यद्यपि अभियुक्त के विरुद्ध नामज़द रिपोर्ट दर्ज नहीं है तथा घटना के समय अभियुक्त को वाहन चलाते किसी साक्षी ने नहीं देखा है, तथापि प्रकरण में प्रश्नगत ट्रक के चालक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज है, जिस संबंध में साक्षी अरशद खान अ.सा.06 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय उक्त ट्रक का चालक आरोपी पीतरदास था। उक्त साक्षी ने भी प्रतिपरीक्षण में घटना के दौरान ट्रक के चालक को न जानना व्यक्त किया है, तथापि स्वयं अभियुक्त ने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है कि घटना के समय वह अन्यत्र था और ना ही प्रकरण में ऐसे कोई तथ्य उपलब्ध है कि प्रकरण में अभियुक्त को मिथ्या आलिप्त किया गया हो। अब प्रश्न अभियुक्त की उपेक्षा तथा उतावलेपन का है। प्रकरण का एक मात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी आहत थानीलाल कटरे अ.सा.01 है। उक्त साक्षी ने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय वह अपनी स्कूटी सड़क के नीचे उतार कर खड़ा हो गया था और ट्रक ने पीछे से तेज गति से आकर उसे टक्कर मार दी, जिसके पश्चात वह बेहोश हो गया। अन्य किसी भी साक्षी ने घटना को नहीं देखा है। मौका-नक्शा प्र.पी.02 से घटनास्थल सड़क के बीच में होना दर्शित है। यद्यपि घटना में अभियुक्त को गंभीर चोटें आना दर्शित है, तथापि मात्र उक्त तथ्य के आधार पर अपुष्ट साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त की उपेक्षा अथवा उतावलेपन का निष्कर्ष दिया जाना संभव नहीं है, जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना के समय अभियुक्त द्वारा वाहन को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाया गया।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-03 से 09 का निष्कर्ष:-

नोट:-सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के आशय से विचारणीय प्रश्न क्रमांक 03 से 09 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

22— प्रकरण में ट्रक के नंबर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज हुई है तथा

साक्षी अरशद खान अ.सा.06 ने भी ट्रक नंबर के आधार पर अभियुक्त का ट्रक चालक होना व्यक्त किया है। ऐसी स्थिति में किसी साक्ष्य के अभाव में यह सिद्ध नहीं होता कि अभियुक्त द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चालन किया जा रहा था, परंतु मोटर यान अधिनियम के शेष आरोपों के संबंध में विवेचक साक्षी जेनेन्द्र उपराड़े अ.सा.11 द्वारा उक्त संबंध में अखण्डनीय कथन किये गये हैं। घटना के समय अभियुक्त द्वारा वाहन चालन दर्शित है। स्वयं अभियुक्त द्वारा भी मोटर यान अधिनियम के आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। घटना के समय बीमा, फिटनेस, परमिट तथा प्रदूषण प्रमाण पत्र होने के विशिष्ट तथ्यों को साबित करने का भार अभियुक्त पर था, परंतु अभियुक्त तत्संबंध में पूर्णतः मौन है। फलतः उक्त संबंध में साक्षी जेनेन्द्र उपराड़े अ.सा.11 की साक्ष्य पर अविश्वास का कोई कारण दर्शित नहीं होता।

23— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना से अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि घटना के समय अभियुक्त पितरदास द्वारा अपने वाहन ट्रक क्रमांक—सी.जी—08.जेड.सी—0199 को बिना बीमा, फिटनेस, परमिट तथा प्रदूषण प्रमाण पत्र के चलाया तथा चालन अनुज्ञप्ति पेश नहीं किया।

24— फलतः अभियुक्त पितरदास को धारा—279, 338 भा.द.वि. एवं मोटर यान अधिनियम की धारा—39/192, 131(1)/177 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है, परंतु मोटर यान अधिनियम की धारा—146/196, 56/192(1)ख, 66/192(क), 115(7)/190(2), 130(3)/177 के अपराध के आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

25— अभियुक्त के विरुद्ध किसी पूर्वतन दोषसिद्धि का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुये उसे अपराधी परीवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधानों का लाभ देना अथवा उनके विरुद्ध नर्म रुख लिया जाना उचित नहीं होगा। फलतः उसे एक उचित दण्ड देने की आवश्यकता है।

26— अतः अभियुक्त पितरदास को मोटर यान अधिनियम की धारा—146/196 के अपराध के लिये 500/— रुपये, धारा—56/192 के अपराध के लिये 2,000/— रुपये, धारा—66/192 के अपराध के लिये 2,000/— रुपये,

धारा-115(7)/190(2) के अपराध के लिये 500/-रुपये तथा धारा-130(3)/177 के अपराध के लिये 100/- रुपये कुल राशि 5,100/- (पांच हजार एक सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को अर्थदण्ड की प्रत्येक राशि के लिए एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे।

27— अभियुक्त प्रकरण में अभिरक्षा में नहीं रहा है, उक्त संबंध में धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

28— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

29— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन ट्रक क्रमांक-सी.जी-08 जेड. सी-0199 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

30— अभियुक्त को निर्णय की प्रतिलिपि धारा-363(1) द.प्र.सं. के तहत निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / —

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सही / —

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)